सिविल प्रक्रिया संहिता-1908

साधारणतः वादों कि विषय में न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय

धारा–

9. जब तक वर्जित न हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे
10. वाद का रोक दिया जाना
11. पूर्व न्याय
15. वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जायेगा
19. शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किये गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद
24. अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति
39. डिक्री का अंतरण
50. विधिक प्रतिनिधि
75. कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति
96. मूल डिक्रीयों की अपील
100. द्वितीय अपील
104. वे आदेश जिनकी अपील होगी
106. कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे
107. अपील न्यायालय की श्शक्तियां
109. उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होगी

113. उच्च न्यायालय को निर्देश
114. पुनर्विलोकन
115. पुनरीक्षण
144. प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन
148. समय का बढाया जाना
148क. केवियट दायर करनें का अधिकार
152. निर्णयों ,डिक्रियों या आदेशों का संशोधन
153. संशोधन करने की साधारण शक्ति

आदेश–1 वादों के पक्षकार

नियम–

1. वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे
2. प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे
8. प्रतिनिधि वाद
9. कुसंयोजन और असंयोजन
13. असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आक्षेप

आदेश–2 वाद की विरचना

नियम–

2. वाद के अंतर्गत संम्पूर्ण दावा होगा
   – दावे के भाग का अभित्याग
   – कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोप

3. वाद–हेतुको का संयोजन
7. कुसंयोजन के बारे में आक्षेप

आदेश–3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर

नियम–

3. मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील
4. प्लीडर की नियुक्ति
5. प्लीडर पर आदेशिका की तामील
6. अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा

आदेश–5 समनों का निकाला जाना और उनकी तामील समनों का निकाला जाना

नियम–

2. समनां से उपाबद्ध वादपत्र की प्रति
9. न्यायालय द्वारा समन का परिदान

समन की तामील

15. जहां तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी
20. प्रतिस्थापित तामील

आदेश–6 अभिवचन साधारणतः

नियम–

4. जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना
15. अभिवचनों का सत्यापन

17. अभिवचनों का संशोधन

आदेश–7 वादपत्र

नियम–

4. जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है
11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना

आदेश –8 लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा

नियम–

1. लिखित कथन
6क. प्रतिवादी का प्रतिदावा
8. प्रतिरक्षा का नया आधार

आदेश–9 पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के परिणाम

2. जहां समन की तामील, खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणमस्वरूप नहीं हुई है वहाँ वाद का खारिज किया जाना
4. वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद फाईल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा
13. प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना

आदेश–10 न्यायालय द्वारा पक्षकरों की परीक्षा

नियम–

1. यह अभिनिश्चित करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत है या प्रत्याख्यात है

2. पक्षकार की या पक्षकार के साक्षी की मौखिक परीक्षा

आदेश–11 प्रकटीकरण और निरीक्षण

1. परिप्रश्नों का प्रकटीकरण करना
12. दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन
14. दस्तावेजों को पेश किया जाना

आदेश–12 स्वीकृतियां

1. मामले की स्वीकृति की सूचना
6. स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय

आदेश–13 दस्तावेजो का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना

1. मूल दस्तावेजों का विवाद्यकों के परिनिर्धारण के समय या उसके पहले किया जाना

आदेश–14 विवाद्यकों का स्थिरिकरण और विधि विवाद्यकों के आधार पर या उन विवाद्यकों के आधार पर जिन पर रजामन्दी हो गई है वाद का अवधारण

1. विवाद्यकों की विरचना
2. न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना

आदेश–16 साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी

4. जहाँ अपर्याप्त राशि जमा की गयी है वहाँ प्रक्रिया
12. यदि साक्षी उपस्थित होने में असफल रहता है तो प्रक्रिया

17. नियम 10 से 13 तक का लागू होना

आदेश–19 शपथ पत्र

नियम–

1. किसी बात को शपथ पत्र द्वारा साबित किये जाने के लिए आदेश देने की शक्ति

आदेश–21 डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन

नियम–

10. निष्पादन के लिए आवेदन
26. न्यायालय निष्पादन कब रोक सकेगा
44. कृषि उपज की कुर्की
50. फर्म के विरूद्ध डिक्री का निष्पादन
53. डिक्रीयों की कुर्की
54. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की
59. विक्रय को रोकना
66. लोक नीलाम द्वारा किए जाने वाले विक्रयों की उद्घोषणा
67. उद्घोषणा की रीति
69. विक्रय का स्थगन या रोका जाना

जंगम सम्पत्ति का विक्रय

74. कृषि उपज का विक्रय
77. लोक नीलाम द्वारा विक्रय

स्थावर सम्पत्ति का विक्रय

89. निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त कराने कि लिए आवेदन
90. विक्रय को अनिमियतता या कपट के आधार पर अपास्त करानें के लिए आवेदन
92. विक्रय कब आत्यंन्तिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा
94. क्रेता को प्रमाण पत्र
99. डिक्रीदार या क्रेता द्वारा बेकब्जा किया जाना
106. एकपक्षीय रूप से पारित आदेशों आदि का अपास्त किया जाना

आदेश– 22 पक्षकारों की मृत्यू उनका विवाह और दिवाला

1. यदि वाद लानें का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नही हो जाता
3. कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की प्रक्रिया दशा में
4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया
11. आदेशों का अपीलो को लागू होना
12. आदेशों का कार्यवाहियों को लागू होना

आदेश–23 वादों का प्रत्याहरण या समायोजन

1. वाद का प्रत्याहरण या दावें के भाग का परित्याग
3. वाद में समझौता

आदेश–24 न्यायालय में जमा कराना

1. दावे की तुष्टि समझौता में प्रतिवादी द्वारा रकम का निक्षेप
13. स्थावर सम्पत्ति का विभाजन के लिए कमीशन
14. कमीशन की प्रक्रिया

आदेश–31 न्यासियों ,निष्पादको , प्रशासकों द्वारा या उनके विरूद्ध वाद न्यासियों आदि में निहित सम्पत्ति से सम्पृक्त वादों में हिताधिकारियों का प्रतिनिधित्व आदेश

32. अवयस्कों और विकृतिचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरूद्ध वाद

1. अवयस्क वाद मित्र द्वारा वाद ला सकेगा
9. वाद–मित्र का हटाया जान

आदेश–33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद

1. निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेगे
5.
17. निर्धन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवाद

आदेश–39 अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश

1. वे दशाए जिनमें अस्थाई व्यादेश दिया जा सकेगा
2. भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश

आदेश–40 रिसीवरों की नियुक्ति

1. रिसीवरों की नियुक्ति

अपील का प्रारूप / ज्ञापन के साथ क्या–**क्या** दिया जाएगा

3क. विलम्ब के लिए माफी हेतु आवेदन

33. अपील न्यायालय की शक्ति

आदेश–43 आदेशों की अपीलें

1. आदेशों की अपीलें

आदेश–उच्चतम न्यायालय में अपीलें